



"प्र० २६"  
(नियम 4क देखिए)



B.No. 87 Sl.NO. 20 निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 16 ७४/१०६ (सदन का नाम) के लिए  
19 APR 2016 निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं जिलोने प्रसाद \*\*पुत्र/सुत्रा/पत्नी बंशी प्रसाद  
५० आयु ५० वर्ष, जो ३१८५५७८ ४२२७०८  
भाग — दीनपुर, लखला — ८५४५५२५२ (डाक का  
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ—

(1) मैं भाजपा (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / \*\*एक रवतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 16 ७४/१०६ सं४८२०५ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ५६ के क्रम सं ६२५ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९१६२७२३८२८ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम <u>जिल्हा कमिशनर</u>	पैन नं. <u>ANLPP 54006</u>	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं	C.P.C	१६७-	०६)
2.	पति या पत्नी	नहीं	नहीं	७८)
3.	आश्रित-1	१३१	नहीं	१४)
4.	आश्रित-2	१३१	नहीं	१५)
5.	आश्रित-3	नहीं	नहीं	१६)

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथमि	नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	5,000/-				
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा, और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	210. 1,05,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	NOTARY Govt. of Bihar Notary
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	1
(vi)	मोटररायन/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	20,000/-	नहीं	नहीं	नहीं	2
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,11,000/-	20,000/-				


आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	3 एकड़ में कुल माप	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	नहीं	नहीं	.	.	.
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

	विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,20,000/-			
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	वणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(V) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(VI) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बारे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बारे का पृथक् विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	हूँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	हूँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	हूँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय-कर शोध्य	L.T.C.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

धनकर शोध्य	१४१	१४२	१४३	१४४
सेवाकर शोध्य	१४५	१४६	१४७	१४८
नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	१४९	१५०	१५१	१५२
विक्रयकर शोध्य	१५३	१५४	१५५	१५६
कोई अन्य शोध्य	१५७	१५८	१५९	१६०
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	१६१	१६२	१६३	१६४
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	१६५	१६६	१६७	१६८

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : ०.९.०. १९८४.

(क) स्वयं ..... ०९८

(ख) पति या एत्ती ..... —

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

..... प्रामुख्य छव्वेती विद्यालय श्रीमुखर्जुन वर्ष १९४४ में छैक्षणिक उद्घाटन

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु ० <i>पंचमी, महादेव</i>			
2	डाक का पता	<i>५०१८-३०८ बृद्धपुरी नगर पालिका, भूतपुरी, असम</i>			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<i>१६ नवाखी संकायी निकायन क्षेत्र, भूतपुरी</i>			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<i>काम्पनी</i>			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<i>नहीं</i>			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल्ने)	<i>नहीं</i>			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाएं)	<i>नहीं</i>			
7	..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	
	(ख) पति या पत्नी	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	
	(ग) आश्रित	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	
8	आस्तियाँ और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)				
	विवरण	रुपये	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	<i>₹ 200.0</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>
ख	स्थावर आस्तियाँ	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>	<i>नहीं</i>



	I. स्वर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	नहीं	नहीं	मही	नहीं	नहीं
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	16 GOV. OF PUNJAB NATIONAL BANK FARIDPUR
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	मही	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	जीही	जीही
9	दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मही
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग अवैध है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19.04.2014 को सत्यापित किया गया।

The deponent identified by Advocate has  
Solemnly affirmed & declared before me

Suresh Kumar  
NOTARY, MUZAFFARPUR

19/04/14

नितेन्द्र कुमार  
अभिसाक्षी  
Neetendra Kumar  
Advocate  
13.04.14  
E.N. 1347/05

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपार्ट्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं’ जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9162793828

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... 9162793828

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 9162793828